भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

(109)

Entry 157

मानननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/ प्र0कं0 0395 / 17

श्री धर्मेन्द्र मिश्रा आमो. द्वारा 26-12-17 को प्रस्तुत किया 26-12-17

(1) **नन्नीबाई** पत्नि श्री माखन, प्रकाश

(2) **रमेश** पुत्र श्री माखन ~~प्रकाश~~

निवासी ग्राम प्रेमपुरा आमोनी,

तहसील हुजूर, जिला भोपाल--- **आवेदकगण**

विरूद्ध

(1) **कमल सिंह** (2) **बागमल**

पुत्रगण श्री हरप्रसाद

(3) **गीताबाई** पुत्री श्री हरप्रसाद

निवासी ग्राम प्रेमपुरा आमोनी,

तहसील हुजूर, जिला भोपाल--- **प्रतिप्रार्थी**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त कं.2 तहसील हुजूर भोपाल के प्र.कं.75/अ-12/16-17 आदेश दिनांक 31.05.17 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार निवेदन करते हैं :-

(1) यह कि पुनरीक्षण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 31.05.16 को कृषि भूमि खसरा कं0-698, 699, 703 कुल रकबा 3.590 हे0 कृषि भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व मंडल वृत्त कं0-2 तहसील हुजूर भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त भूमि ग्राम आमोनी तहसील हुजूर भोपाल में है।

(2) यह कि प्रकरण पंजीबद्ध प्र0कं0-75/अ-12/16-17 के रूप में दर्ज किया जाकर सीमांकन हेतु दिनांक 23.05.2017 नियत किया गया तथा दिनांक 16.05.2017 को पड़ोसी काश्तकारों को सूचना पत्र भिजवाये गये, परंतु आवेदकगणों

निरंतर...2...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/0395 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-05-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । . कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	